भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3604
उत्तर देने की तारीखः 15.07.2019

नियमित कुलपति

3604. डॉ॰ आर॰के॰ रंजनः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मणिपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय अभी भी किसी नियमित कुलपति के बिना कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय के किसी पूर्व कुलपति के विरुद्ध जांच लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पीआईएल), 2018 की संख्या 49 में अपने दिनांक 11.10.2018 के आदेश के अधीन श्री जरनैल सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस और मणिपुर के पूर्व मुख्य सचिव को मणिपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 और ऐसी अन्य संगत संविधियों के अधीन मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यों के निर्वहन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है और उनका प्राथमिक कार्य और उत्तरदायित्व मणिपुर विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाना है।

(ग) और (घ): प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे, कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित समिति ने इस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

****